गली जनार्दन रेड्डी

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य (विविध।2020 का आवेदन संख्या 528)

/

में

(2013 की एस. एल. पी. (आपराधिक) संख्या 7053)

10 अक्टूबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

/

जमानत-आवेदक ने जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की-निर्देश जारी किए गए-आवेदक पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 (बी), 420,379,409,468,411,427 और 447 के तहत अपराधों का आरोप है।भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2,आर. 21 आर/डब्ल्यू।खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के नियम 4 (1), 4 (1) (ए) और 23-अपीलार्थी को सी. बी. आई. द्वारा आई. डी. 2 पर गिरफ्तार किया गया था-कुछ शर्तों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई. डी. 1 पर जमानत दी गई थी-उनमें से एक शर्त (सी) थी जिसमें कहा गया था कि "वह कर्नाटक के बेल्लारी जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले का दौरा नहीं करेगा"-इसके बाद, वर्तमान आवेदन शर्त में संशोधन के लिए दायर किया गया था (सी)-अंतरिम आदेश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त शर्त को इस हद तक संशोधित किया कि आवेदक अपनी यात्रा की एस. पी. को पूर्व सूचना देगा-आयोजितःआवेदक बहुत गंभीर अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है-अतीत में गवाह को प्रभावित करने की आशंकाएं सच साबित हुई हैं और यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई थी/प्रभावित करने की कोशिश की गई थी-सी. बी. आई./जांच एजेंसी की ओर से एक गंभीर आशंका है कि यदि शर्त संख्या (सी) में ढील दी जाती है और/या संशोधित और/या प्रतिस्थापित किया जाता है, तो आवेदक की शक्ति और प्रभाव के कारण गवाहों को खतरा होगा-एफ. आई. आर. दर्ज करने के 11 साल की अवधि के बाद भी

और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश देने के बावजूद, मुकदमा शुरू नहीं हुआ है- मुकदमे के जल्द समापन से न्याय वितरण प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ेगा-अब, अन्य बातों के साथ-साथ, निचली न्यायालय को निर्देश जारी किए गए हैं।

/

/

/

/

/

656 ए.

657

गली जनार्दन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम और कडप्पा जिला-आवेदन का निपटारा किया गया।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2013 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 7053 में 2020 का विविध आवेदन संख्या 528।

/

2013 की आपराधिक याचिका संख्या 3632 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के दिनांक 20.06.2013 के निर्णय और आदेश से।

सह

2021 की डायरी संख्या 11949।

/

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, मयंक जैन, परमात्मा सिंह, मधुर जैन, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

सुश्री माधवी गोराडिया दीवान, ए. एस. जी., सचिन शर्मा, शांतनु शर्मा, टी. एस. सबरिश, शुभदीप रॉय, सुदर्शन के., अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. आई.) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2015 की शर्त संख्या (सी) में संशोधन के उचित आदेश के लिए आवेदक-मूल अभियुक्त द्वारा वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी गई है। No.7053/2013 आवेदक को कर्नाटक के बेल्लारी जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले में प्रवेश करने, रहने और कार्य करने की अनुमति देने की सीमा तक।

/

2. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 (बी), 420,379,469,468,411,427 और 447, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के नियम 4 (1), 4 (1) (ए) और 23 के साथ पठित नियम 21 के अंतर्गत अपराधों के लिए आवेदक आर. सी. 17 (ए)/2009-सी. बी. आई.-एच. वाई. डी. दिनांक 07.12.2009 में अभियुक्त है।कि, आवेदक-अभियुक्त को सी. बी. आई. ने 05.09.2011 पर गिरफ्तार किया था।इस न्यायालय में आने से पहले, आवेदक-अभियुक्त ने कई मौकों पर नियमित जमानत देने के लिए विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया।आवेदक-अभियुक्त के उक्त अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि आवेदक-अभियुक्त को जमानत देने से निष्पक्ष और अप्रभावित जाँच में बाधा आ सकती है।कि, जब आवेदक-अभियुक्त ने अंत में संपर्क किया

/

/

/

उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में आपराधिक याचिका दायर करके, अभियुक्त आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता, उसकी प्रभावशाली स्थिति और सी. बी. आई. को ध्यान में रखते हुए निर्णय और आदेश दिनांक आई. डी. 2 के माध्यम से एक उचित आशंका का संकेत दिया कि यदि आरोपी को जमानत पर बढ़ाया जाता है तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है, उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।आवेदक ने विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. आई.) के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। No.7053/2013।दिनांक 20.01.2015 के एक आदेश द्वारा, जिस आदेश को अब

संशोधित करने की मांग की गई है, इस न्यायालय ने आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया थाः

/

“क) यदि वह पहले ही समर्पण नहीं कर चुका है, तो वह अपना पासपोर्ट सी. बी. आई. मामलों के लिए विद्वान प्रधान विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद को सौंप देगा।यदि वह पहले ही विद्वान प्रधान विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपना पासपोर्ट समर्पण कर चुका है, तो उस तथ्य का समर्थन एक हलफनामे द्वारा भी किया जाना चाहिए।

/

ख) वह विद्वान प्रधान विशेष न्यायाधीश की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

/

ग) वह कर्नाटक के बेल्लारी जिले और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले का दौरा नहीं करेंगे।घ) वह मुकदमे की सुचारू प्रक्रिया और उसके शीघ्र निष्कर्ष में न्यायालय के साथ सहयोग करेगा।

/

ङ) वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

च) वह मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथियों पर विद्वान प्रधान विशेष न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित रहेगा।यदि उसे अनुपस्थित रहने की आवश्यकता होती है, तो वह विद्वान प्रधान विशेष न्यायाधीश की पूर्व अनुमति लेगा और अनुपस्थित रहने के लिए अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में, वह तुरंत विद्वान प्रधान विशेष न्यायाधीश और अधीक्षक, सी. बी. आई. को उचित रूप से सूचित करेगा और अनुरोध करेगा कि उसे वकील के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।

/

/

छ) जहाँ तक जमानत राशि का संबंध है, याचिकाकर्ता दो विलायक प्रतिभूतियों के साथ एक बांड निष्पादित करेगा, प्रत्येक की राशि Rs.10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये) होगी।

/

/

ज) यदि किसी भी कारण से याचिकाकर्ता ऊपर निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो प्रतिवादी याचिकाकर्ता को जमानत देने वाले आदेश में संशोधन/वापस लेने के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

10. याचिकाकर्ता को जमानत का अनुदान याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित किसी भी अन्य मामले के अधीन होगा, जिसमें याचिकाकर्ता को अभी तक उपयुक्त अदालतों द्वारा जमानत नहीं दी गई है। "

/

3. वर्तमान आवेदन को आवेदक-अभियुक्त द्वारा शर्त सं. (ग) को संशोधित करने और/या हटाने के लिए प्राथमिकता दी गई है जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है और इस तरह उसे कर्नाटक के बैलेरी जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले में प्रवेश करने, रहने और कार्य करने की अनुमति दी गई है।

/

4. इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्ष 2016 में जमानत देते समय लगाई गई शर्तों को हटाने के लिए इसी तरह का अनुरोध किया गया था।दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया, हालांकि, निचली अदालत को मुकदमे को तेजी से पूरा करने का प्रयास करने का निर्देश दिया।कि, इसके बाद, जमानत देते समय लगाई गई शर्त में संशोधन के लिए आपराधिक विविध याचिका संख्या 6534/2017 के रूप में एक और आवेदन किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।कि, उसके बाद, वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी गई है।दिनांक 19.08.2021 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने आवेदन को नवंबर, 2021 के तीसरे सप्ताह तक स्थगित करते हुए, शर्त संख्या (सी) को संशोधित और प्रतिस्थापित किया हैः

/

/

“(ग) जब भी याचिकाकर्ता निम्नलिखित जिलों में से किसी का दौरा करने का प्रस्ताव करता है, जो कर्नाटक में जिला बैलेरी और आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम और कडप्पा हैं, तो वह संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को उस तारीख की पूर्व सूचना देगा जब वह जिले में जाने का प्रस्ताव करता है और आगे वह संबंधित पुलिस अधीक्षक को उक्त जिले से अपने प्रस्थान की तारीख की पूर्व सूचना भी देगा। "

/

/

दिनांकित 20.01.2015 आदेश में लगाई गई शर्त संख्या (एच) को दोहराया जाता है। "

इस न्यायालय ने यह भी कहा है कि निचली अदालत मुकदमे को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी।

/

660

/

[2022] 15 एस सी आर।

5. इसके बाद, वर्तमान आवेदन को आगे की सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष अधिसूचित किया जाता है।

6. याचिकाकर्ता-अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और प्रतिवादी-सी. बी. आई. की ओर से ए. एस. जी. सुश्री माधवी दीवान पेश हुईं।

/

7. आवेदक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने जोर देकर कहा है कि उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों पर जमानत देने के लिए वर्ष 2015 में इस न्यायालय द्वारा प्रारंभिक आदेश पारित किए जाने के बाद, आवेदक ने इस न्यायालय द्वारा दी गई अनुमतियों के अनुसार 8 से 9 मौकों पर बेल्लारी का दौरा किया है और उक्त यात्राओं के दौरान, आवेदक ने कभी भी जमानत आदेश में इस न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जमानत दिए जाने के बाद से पिछले 6 से 7 वर्षों में, आवेदक ने लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है जिसके लिए आवेदक बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमे में देरी आवेदक के कारण नहीं है।इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 1 के आदेश में उल्लिखित शर्त संख्या (सी) को संशोधित किया जाए और आवेदक को कर्नाटक के बेल्लारी जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले में प्रवेश करने, रहने और कार्य करने की अनुमति दी जाए।

/

/

7.1 वैकल्पिक रूप से यह प्रार्थना की जाती है कि इस न्यायालय द्वारा 19.08.2021 पर पारित आदेश के अनुसार शर्त संख्या (सी) में संशोधन जारी रखा जाए।8. विद्वान ए. एस. जी. सुश्री माधवी दीवान द्वारा वर्तमान आवेदन का जोरदार विरोध किया जाता है। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि सी. बी. आई. को इस बात की प्रबल आशंका है कि यदि इस

न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश में इस प्रकार लगाई गई शर्त सं. (ग) को संशोधित और/या प्रतिस्थापित किया जाता है, तो आवेदक गवाहों को प्रभावित कर सकता है जो अंततः मुकदमे और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अतीत में न्यायिक अधिकारियों को भी प्रभावित करने के प्रयास किए गए थे जो पहले से ही रिकॉर्ड में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के बावजूद, एक के बाद एक आरोपमुक्त आवेदन दायर करके अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से किए गए आचरण के कारण मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा है।

/

/

/

9. सुश्री माधवी दीवान, विद्वान एएसजी ने प्रस्तुत किया है कि इसलिए यदि दिनांकित 20.01.2015 के आदेश की शर्त संख्या (सी) को संशोधित किया जाता है, तो आवेदक की शक्ति और प्रभाव के कारण गवाहों के लिए गंभीर खतरा होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब भी कोई आपात स्थिति होती है तब भी आवेदक ए के लिए इस न्यायालय का रुख कर सकता है।

/

उचित अनुमति जिस पर मामले के आधार पर विचार किया जा सकता है और इसलिए, उस हद तक, आवेदक के हित का ध्यान रखा जा सकता है।

10. जवाब में, वैकल्पिक रूप से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि आवेदक की बेटी ने हाल ही में बेंगलुरु में एक बच्चे को जन्म दिया है और अब वह बेल्लारी में है, इसलिए आवेदक को अपनी बेटी के साथ रहने के लिए कम से कम चार सप्ताह की अवधि के लिए बेल्लारी जाने और रहने की अनुमति दी जा सकती है।

/

11. उपरोक्त वैकल्पिक प्रार्थना पर, सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. ने बताया है कि वास्तव में आवेदक की बेटी ने बेंगलुरु में बच्चे को जन्म दिया था और वह कभी बेल्लारी में नहीं थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा 29.09.2022 पर वर्तमान आवेदन की सुनवाई के बाद ही शाम को आवेदक की बेटी को बेल्लारी स्थानांतरित कर दिया जाता है।इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि आवेदक की ओर से उपरोक्त आचरण पर विचार किया जाए।

/

12. हमने आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और सी. बी. आई. की ओर से ए. एस. जी. सुश्री माधवी दीवान को विस्तार से उपस्थित होते सुना है।हमने संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर विचार किया है।हमने अभिलेख पर सामग्री पर विचार किया है।

/

13. आवेदक भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 (बी), 420,379,409,468,411,427 और 447, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के नियम 4 (1), 4 (1) (ए) और 23 के साथ पठित नियम 21 के अंतर्गत दंडनीय बहुत गंभीर अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है।जाँच सी. बी. आई. द्वारा की गई थी। अधिकांश गवाह कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले के हैं।सी. बी. आई. की ओर से इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि यदि आवेदक को कर्नाटक के बेल्लारी जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले में प्रवेश करने, रहने और कार्य करने की अनुज्ञात जाती है और आवेदक द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और/या उनके साथ छेड़छाड़ करने की सभी संभावनाएं हैं, तो इस न्यायालय ने जमानत देते हुए शर्त संख्या (सी) आवेदक को कर्नाटक के बेल्लारी जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले में प्रवेश करने से रोकने के लिए लगाई।अतीत में, आशंकाएं सच साबित हुई हैं और यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों को भी प्रभावित किया गया था/प्रभावित करने की कोशिश की गई थी।सी. बी. आई./जाँच एजेंसी की ओर से गंभीर आशंका है।

/

/

/

/

कि यदि शर्त सं. (ग) में ढील दी जाती है और/या संशोधित और/या प्रतिस्थापित किया जाता है, तो आवेदक की शक्ति और प्रभाव के कारण गवाहों के लिए खतरा होगा।यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एफ. आई. आर. दर्ज करने के 11 साल की अवधि के बाद भी और इस न्यायालय द्वारा

मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश देने के बावजूद, मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह प्रतीत होता है कि मुकदमा इस आधार पर शुरू नहीं हुआ है कि आरोपी/सह-आरोपी एक के बाद एक आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर कर रहे हैं, जिसके कारण मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।इस तरह के मामले में, यह हमेशा व्यापक हित में होता है कि मुकदमा जल्द से जल्द समाप्त किया जाए।मुकदमे के शीघ्र समापन से न्याय वितरण प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।मुकदमे का जल्द से जल्द तार्किक अंत होना चाहिए।अभियुक्त की ओर से गंभीर अपराधों के मुकदमे में देरी करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।जितनी देरी होगी, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।इसलिए, हमारी राय है कि मुकदमे में तेजी लाने के लिए इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के बावजूद, क्योंकि मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, अब निचली अदालत को दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमा शुरू करने का निर्देश जारी किया जाना है और एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद आवेदक-अभियुक्त को कर्नाटक के बेल्लारी जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिलों में प्रवेश करने से रोका जा सकता है।

/

/

/

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. आई.) में पारित 28.01.2015 के आदेश में शर्त संख्या (सी) के संशोधन/प्रतिस्थापन के लिए वर्तमान आवेदन का निपटारा/खारिज करते हैं। नं. 7053/2013।हालाँकि, हम निम्नानुसार निर्देश देते हैंः

/

(1) ज्ञात विचारण न्यायालय /विशेष न्यायालय को इसके द्वारा 09.11.2022 से दिन-प्रतिदिन के आधार पर परीक्षण करने का निर्देश दिया जाता है।हम विद्वत विशेष न्यायालय को 09.11.2022 से छह महीने की अवधि के भीतर मुकदमे को बिना किसी असफलता के समाप्त करने का निर्देश देते हैं;

/

(2) ताकि अभियोजन पक्ष पहले कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले के गवाहों से यथासंभव पूछताछ कर सके।जाँच एजेंसी का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी गवाहों को उनके बयानों/मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से उपस्थित रखे।

/

(3) सभी अभियुक्तों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे मुकदमे के समापन में विद्वत विशेष न्यायालय को जल्द से जल्द सहयोग करें और ए

/

663

गली जनार्दन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर और अभियुक्त की ओर से मुकदमे में देरी करने के किसी भी प्रयास को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा।

(4) जैसा कि यह बताया गया है कि आवेदक की बेटी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है और अब वह बेल्लारी में है, आवेदक को 06.11.2022 तक बेल्लारी में रहने की अनुमति है।यह विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि आवेदक बेल्लारी से बाहर चले जाएँ और कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिलों से 07.11.2022 से परीक्षण समाप्त होने तक बाहर रहें।

/

15. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान आवेदन का निपटारा कर दिया जाएगा।रजिस्ट्री को वर्तमान आदेश को तुरंत विद्वान विशेष न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

/

अंकित ज्ञान

आवेदन का निपटारा कर दिया गया।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

/

/

/

/

/